



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 25 मई, 2024

ज्येष्ठ 4, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या 738/5-9-2024-6(74)-94 टी०सी०-II

लखनऊ, 25 मई, 2024

अधिसूचना

प०आ०-234

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 903/पॉच-9-2021-6(74)-94 टी०सी०-II, दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 3020/5-9-2007-6(74)-94 टी०सी०, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 का आंशिक उपान्तर करने राज्यपाल, श्री अतुल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्थान पर श्री लोकेश नागर, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,

प्रमुख सचिव।